

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या:- /एम0सी0जे0-2025/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति

दिनांक: 03 -जनवरी-2025

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के शासकीय पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 लखनऊ दिनांक-14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक-14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या-4303 दिनांक-14.06.2024 पर अंकित है, के क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत डा0 मानसी भाले की नियुक्ति/तैनाती एनेस्थीसिया विभाग में रिक्त सहायक आचार्य पद (श्रेणी-अनारक्षित) के सापेक्ष सहायक आचार्य, एनेस्थीसिया विभाग के पद पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक-

1. ओपी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
2. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
3. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
5. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
7. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
8. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करे ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।
9. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।

4-उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 21-11-2019 एवं 18-07-2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य

चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।


105 E 11
7/11/2025

—1—

संख्या: 6516 / एम0सी0जे0-2025 / ई0सी0-1 / संविदा-नियुक्ति तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
6. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
7. विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
8. प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
9. नोडल अधिकारी, ई-हास्पिटल/बायोमैट्रिक/एन0एम0सी0/वेबसाइट/मानव संपदा पोर्टल, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
10. लेखानुभाग (कॉलेज) द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
11. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।


प्रधानाचार्य
चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।